:: आदेश ::

प्रायः देखने मे आ रहा है कि बैंक की शाखाओं पर कार्यरत प्रबन्धक व अन्य अधीनस्थ स्टॉफ सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बगैर प्रधान कार्यालय मे आते रहते है, जिससे शाखा के कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ता है, अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलता है तथा कर्मचारी आचार संहिता के प्राविधानों के भी विपरीत है।

अतः समस्त शाखा प्रबन्धकों व अधीनस्थ स्टॉफ को निर्देशित किया जाता है कि वह मण्डल पर्यवेक्षक की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रधान कार्यालय आना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति मे उनके विरूद्व कठोर कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए वह स्वतः जिम्मेदार होंगे।

(के0 पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ ।

आदेशांक : 16472 /स्थापना/2017–18 दिनांक : 16.10.17

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त शाखा प्रबंधक, उ0प्र0सह0 ग्रा0वि0 बैंक लि0।
2. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
3. प्रबन्धक श्रेणी–3 (सिविल/नजारत) को इस निर्देश के साथ कि वह उक्त का अनुपालन कड़ाई से कराने हेतु सुरक्षाकर्मियों को आवश्यक निर्देश देना सुनिश्चित करें।
4. उपमहाप्रबंधक (आई0 टी0 सेल) को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

16.x.17
(आर0 बी0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)